

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2357/2011/सिरोही.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-तृतीय, सिरोही.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स बालाजी मार्बल, सिरोही

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 15/02/2017

निर्णय


1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 3/आरवेट/सिरोही/10-11/जोधपुर में पारित आदेश दिनांक 25.04.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-सिरोही (जिसे आगे 'सशक्त अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिये पारित आदेश दिनांक 25.11.2009 में अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 5500/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया था, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी जो कि अधिनियम की धारा 3(2) के तहत करदायी व्यवसायी था उनके द्वारा वार्षिक विवरण पत्र वैट 11 देरी से प्रस्तुत करने पर धारा 58 के तहत दिनांक 08.07.2009 के पश्चात रूपये 5,500/- की शास्ति आरोपित की गई है। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा रूपये 500/- तक यथावत रखी गयी थी।
3. राजस्व की ओर से विद्वान अभिभाषक ने इस आधार पर अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया कि दिनांक 08.07.2009 के पश्चात प्रस्तुत होने वाले विवरण पत्रों के मामले में शास्ति की राशि की गणना रूपये 5,000/- ही की जा सकती है।
4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

लगातार.....2



5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं कर निर्धारण आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी का कुल व्यापार वृत्त रूपये 41,318/- मात्र था एवं धारा 3(2) के तहत विकल्पधारी भी था जिस पर अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित करने से पूर्व कोई विशेष नोटिस जारी होना नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति राशि में से रूपये 5000/- अपास्त कर अवशेष रूपये 500/- कायम रखने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

6. फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।


(के. एल. जैन)
सदस्य